यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा व0ले0प एवं श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.12.2018 से 17.12.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, ले0 प0 अ0 के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2017 से 14.12.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वनों के संरक्षण संवर्धन व वृक्षारोपण आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य प्रभाग की 05 रेंजो द्वारा सम्पादित किये जाते है।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	243.31
2016-17	254.75
2017-18	467.52

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	438.46	438.46	677.79	227.79	-	450.00
2016-17	485.74	485.74	306.44	280.72	-	25.716
2017-18	611.00	611.00	327.332	327.332	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2016-17					
2017-18					

इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख वन संरक्षक- अपर प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: 1. वनों की अग्नि से सुरक्षा - राज्य योजना 2. आरक्षित तथा सिविल सोयम वनो का विकास 3. इन्टीग्रेटेड फारेस्ट प्रोटेक्शन सीम-केन्द्र योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व लेखापरीक्षा

भाग 2 (अ)

प्रस्तर- 1: क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कम धनराशि का आरोपण ₹49.54 लाख।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणो के सापेक्ष देय धनराशि के निर्धारण के संबंध में वसूली वर्ष 2016-17 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, रोड-साइड वृक्षारोपण तथा रिक्त पड़े स्थानो/100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दर का निर्धारण निम्नवत किया गया था:

वसूली वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे॰ (रु में)	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति किमी (रु में)	रिक्त पड़े स्थानो/100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दर (रु में)
2016-17	230302.00	345312.00	1000/प्रति वृक्ष

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन-प्रभाग, बड़कोट के भूमि हस्तांतरण सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जाँच में जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगाँव के नौगाँव-स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैंड से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कंडाऊ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है॰ वन-भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 8बी/यू॰सी॰पी॰/06/71/2015 दिनांक 28.08.2017 द्वारा वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के संबंध में विधिवत स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली वन-भूमि में मोटर मार्ग की लंबाई 4.50 किमी थी। आगे, कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा अपने पत्रांक 3375/8/11(2015-16) दिनाँक 29.04.2016 द्वारा कुल रकबा 6.300 हे॰ सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी/अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पक्ष में हस्तांतरित/नामांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिस पर वृक्षारोपण किया जाना था।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 6.30 हे॰ वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु ` 14,50,902.00 मात्र तथा ` 26,61,750.00 एन॰पी॰वी॰ की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी थी परन्तु, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में पड़ने वाले मोटर मार्ग लंबाई 4.50 किमी पर ` 3,45,312.00 प्रति किमी की दर से ` 15,53,904.00 जमा नहीं कराये गये थे । इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि परियोजना में प्रभावित 340 वृक्षों का 10 गुना अर्थात 3400 वृक्षों के रोपण हेतु धनराशि ` 34,00,000/- (3400 x 1000 प्रति वृक्ष) भी प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा नहीं की गयी थी।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ` 49,53,904/- (` 34,00,000 + ` 15,53,904) कम जमा कराये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि 3400 वृक्षों का रोपण करने था प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा काई धनराशि जमा नहीं करायी गयी थी एवं प्रकरण की जाँच कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः धनराशि ` 49,53,904/- की कम राजस्व प्राप्ति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर- 2: वन-निगम द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ` 36.27 लाख।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लिये किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:

(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह मार्च

(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह जून

(ग) लौट के मूल्य का बकाया: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह सितंबर

बिन्दु संख्या 31 (3क)(अ) के अनुसार चीड़ की लौट के संबंध मे किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार ही किया जायेगा।

बिन्दु संख्या 33(2) के अनुसार वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी की किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार ही किया जाएगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के लॉट आवंटन से सम्बन्धी पत्रावली एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना की जाँच में पाया गया कि विभिन्न आदेशों द्वारा वर्ष 2017-18 में वन विकास निगम, टोंस पुरोला को आरक्षित वन में विकास कार्यों से संबन्धित लाट संख्या 09, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 55 (कुल 20 लाट) आवंटित किये गये थे।

उपरोक्त लाटों से संबन्धित रॉयल्टी वन विकास निगम द्वारा माह मार्च 2018, जून 2018 व सितम्बर 2018 में तीन किश्तों में जमा करनी थी। परन्तु, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा इन लाटों से संबन्धित कोई भी धनराशि प्रभाग में जमा नहीं की गयी थी।

कार्यालय द्वारा आवंटित लाटों से संबन्धित उपलब्ध करायी गयी सूचना (कम्प्यूटर सॉफ्ट कॉपी) का वर्ष 2017-18 की रॉयल्टी-दरों के आधार पर गणना करने पर **₹ 36,26,576/-** की धनराशि रॉयल्टी के रूप में आंगणित हुई (**विवरण संलग्न**) जो कि वन विकास निगम द्वारा जमा नहीं करायी गयी थी।

निगम **द्वारा** रॉयल्टी जमा न कराये जाने के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि वन विकास निगम द्वारा उनके स्थायी आदेश संख्या 3830/13-1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनाँक 14.09.2016 के आधार पर विकास कार्य से सम्बन्धित लाटों का रॉयल्टी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में निगम के उक्त आदेश में वर्णित आदेशों (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 5-1/2007/FC दिनाँक 11.12.2008 एवं F.No. 5-1/98-FC/पीटी-II दिनाँक 29.03.2005 एवं अपर

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्रांक 783/1-42 दिनाँक 07.09.2016) का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि इन आदेशों में विकास कार्यों हेतु आवंटित लाटों के सम्बंध में रॉयल्टी भुगतान न किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आदेशों के अनुसार वन विकास निगम को विकास कार्य के लाटों के निस्तारण हेतु समस्त भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि नियमित लाटों के अपेक्षाकृत निगम को विकास कार्य लाटों में अधिक लाभ हो रहा है। परन्तु, निगम द्वारा विभाग को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि लाट आवंटन, वृक्षों का छपान, आयतन आंगणन एवं रॉयल्टी आंगणन आदि की पूर्ण प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है ।

इस प्रकार विभाग द्वारा मात्र निगम के आदेश के आलोक में रॉयल्टी ` 36,26,576/- की वसूली नहीं की गयी थी।

अतः वन विकास निगम से रॉयल्टी ` **36,26,576/-** वसूल न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-1: धनराशि ` 32.33 लाख के चालानो का सत्यापन न होना ।

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह विभागीय प्राप्तियों का कोषागार की सूची से मिलन किया जाना चाहिये। सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वित्त (लेखा) अनुभाग-1/संख्या-ए-1-1189/दस-96-10(1)-93 दिनाँक 25.06.1996 द्वारा भी विभाग की शासकीय प्राप्तियों के संदर्भ मेन समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 27-ए की टिप्पणी(4) की ओर आकृष्ट किया गया था जिसमे यह प्रावधान है कि कोषागारों में भुगतानों (शासकीय प्राप्तियों) के प्रकरणों में आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी की चालान पर प्राप्ति को देखकर कैश बुक की प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियाँ ₹ 1000 से अधिक हों, तो उसका सत्यापित विवरण कोषागार से प्राप्त कर कैश-बुक में पोस्टिंग से मिलान किया जाये। वित्तीय अनियमितताओं, शासकीय धन के गबन एवं दुर्विनियोग के प्रकरणों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों का यह दायित्व निर्धारित किया जाये कि उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिक्षित किया जाये।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट की अभिलेखों की लेखापरीक्षा में राजस्व प्राप्ति से संबन्धित चालानो का संबन्धित कोषागार की सूची से मिलान करने पर पाया गया कि वन विकास निगम, टोंस, पुरोला द्वारा लेखापरीक्षा अवधि (04/2017 से 03/2018) के दौरान अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पक्ष में जमा धनराशि ₹ 32,32,779/- के चालान कोषागार की सूची में परिलक्षित नहीं हुये। विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	चालान संख्या/दिनाँक	धनराशि (₹ में)
1	316/27.03.2018	1,16,324.00
2	194/28.06.2017	31,16,455.00
योग		**32,32,779.00**

अतः उक्त चालानो का कोषागार की सूची से मिलान न हो पाने के कारण लेखापरीक्षा में इनकी वैधता सत्यापित नहीं हो पायी।

उपरोक्त को इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के Major Head wise CTR (treasury Barkot) में भी उपरोक्त चालान जमा नहीं पाये गये थे। उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में भी वन निगम द्वारा जमा किये गये ₹46.67 लाख के सत्यापन से सम्बन्धित प्रकरण विगत लेखा परीक्षा में भी भाग 2 (ब) के प्रस्तर 03 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था परन्तु इन चालानों का सत्यापन भी अपेक्षित था (दिसम्बर 2018) परन्तु इकाई द्वारा

उक्त ₹46.67 लाख के चालानो का सत्यापन वर्तमान सम्प्रेक्षा तक (12/2018) नहीं कराया गया था।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 2: मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि में नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण लम्बित भुगतान ₹85.02 लाख।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2227/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा वन्य जीवों द्वरा जान-माल को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निमित्त "मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012" प्रख्यापित की गयी। नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम रूप में पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को जनमानस की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष धनराशि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन-प्रभाग, बड़कोट के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त मे पशु क्षति के 346 प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष ` **85.02** लाख भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (12/2018) तक नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यवाही गतिमान है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिनाँक 31.03.2018 को खाते में धनराशि ` **10,35,212/-** अवशेष थी जिससे कुछ प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने व ` **85.02** लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
55/2006-07	01	01,02,03	
01/2008-09	-	01,02	
16/2010-11	01	-	
04/2015-16	-	01	
116/2017-18	01,02	01,02,03	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री जे.पी. सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र